

नगर पालिका, लक्ष्मनगढ़

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.:

LSG/LAXMANGARH/FIRENOC/2024-25/37138

जारी दिनांक:

04-SEP-2024

वैधता दिनांक:

03-SEP-2025

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती:

PAWAN GOENKA

आवेदक का पता:

WARD NO 15 NEAR BAJAR POST OFFICE LAXMANGARH
SIKAR

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने वाल

आपके भवन BAGARIA BAL VIDYA NIKETAN, LAXMANGARH, LAXMANGARH, LAXMANGARH, LAXMANGARH, SIKAR, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तों:-

- अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
- भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
- अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
- निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालना करना आवश्यक होगा।
- फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिये पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
- भवन के अव्वर किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावें।
- यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
- यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
- भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाये जाने के लिये यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जायेगा।
- पानी के टैंक हर समय भरे रखने होगे व पर्याप्त फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील लियति में रखने को बाध्य हों।
- फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घण्टे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होगे तथा ए एम सी करवाची जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
- रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी दावर में दावर की उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
- भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रुफटॉप रेस्टोरेंट के लिए मान्य नहीं है। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। वहां पर रुफटॉप रेस्टोरेंट पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- राजस्थान नगरपालिका मॉडल भवन विनियम 2020 एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के समस्त प्रावधान की पालना की जानी आवश्यक होगी।
- स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत सुखे एवं गिले कचरे एकत्रित करने हेतु डस्टबीन (हरे एवं नीले) रखने एवं कचरा विस्तारण किया जाना आवश्यक होगा।



Signed by: Devilal Bochalya

Issuing Authority: DC/EO/Commissioner

Location: LAXMANGARH, Rajasthan

Date: 04/09/2024 12:28:39

अग्निशमन अधिकारी

नगर पालिका, लक्ष्मनगढ़